


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर जिला रीवा  
(म0प्र0)

विधि



निगरानी प्र0 क0-1072-2/2015

आदेश दिनांक-25.07.2017

III विधि रीवा/शु-री/2017/287/287/

शे शोभन

जगजीवन सिंह तनय दुर्गा सिंह निवासी ग्राम पलिया त्रिवेणी सिंह तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0  
आवेदक

बनाम

रेपति रमण सिंह तनय श्री हरिशरण सिंह निवासी ग्राम पलिया त्रिवेणी सिंह तह0 मऊगंज जिला रीवा म0प्र0  
अनावेदक

आवेदन पत्र आदेश दिनांक 25.07.2017 आदेश के प्रथम पृष्ठ की अंतिम लाईन में 03.03.2011 को सुधारकर 08.03.2011 किए जाने बावत् !

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 व्यवहार प्रक्रिया सं0

Reader  
31/8/17

मान्यवर,

22/8/17

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

- 1- यह कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2017 को आदेश पारित किया गया है जिसमें टंकण त्रुटि के कारण प्रथम पृष्ठ के अंतिम लाई में 08.03.2011 के स्थान पर 03.03.2011 टाईप हो गया है, जिसे सुधार किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।
- 2- यह कि आवेदन सदभावना पूर्वक है।

अस्तु निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 25.07.2017 के प्रथम पृष्ठ की अंतिम लाईन में 03.03.2011 को सुधार कर दिनांक 08.03.2011 लिखे जाने की महती कृपा की जाय।

दिनांक-

आवेदक

जगजीवन सिंह तनय दुर्गा सिंह निवासी  
ग्राम पलिया त्रिवेणी सिंह तह0 मऊगंज  
जिला रीवा म0प्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग - अ

III/विविध/रीवा/भू0रा0/2017/2871

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-2017	<p>श्री आई0पी0 द्विवेदी अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का प्रकरण क्रमांक निगरानी 1236-दो/2007 में पारित आदेश दिनांक 25-7-2017 में टायपिंग त्रुटि को सुधार किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत मूल निगरानी के आदेश दिनांक 25-7-2017 के पैरा 2 में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 08-3-2011 की जगह आदेश में दिनांक 03-3-2011 टंकित हो गया है। विचारोपरांत आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आदेश के पैरा 2 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03-3-2011 के स्थान पर 08-3-2011 पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी।</p>	<p>(एस0एस0अली) सदस्य</p>